58 (5) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करना

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के तारीख 30 मई 1998 के सम संख्यक का.ज्ञा. के संदर्भ का हवाला देने का और यह कहने का निदेश हुआ है कि तारीख 30 मई, 1998 के का.ज्ञा. (ओएम) में निम्नलिखित उप–पैरा शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

(च) बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद कोई सेवा अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्ति जिसने 30 मई, 1998 को या उससे पूर्व 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परंतु उसे 30 मई, 1998 से पूर्व सेवा अवधि बढ़ाने की अनुमति दी गई हो तो वह सेवा की बढ़ाई गई अवधि के बाद सेवानिवृत्ति होगा किंतु उसे और सेवा अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें।

(डी पी ई का 17 अगस्त, 1998 का का.ज्ञा. (ओएम) सं. 18(6)98–जीएम)